भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 930
दिनांक 05 दिसम्बर, 2025 को उत्तर देने के लिए

विशिष्ट रूप से कमजोर जनजातीय समूहों में पोषण स्तर

930. श्री अबू ताहेर खान:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार विशिष्ट रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) से जुड़े बच्चों के बीच पोषण स्तर का डेटा बनाए रखती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या किसी जनजाति-बहुल जिले ने आंगनवाड़ी केंद्रों के बंद होने, अनियमित कामकाज/भोजन की कमी की सूचना दी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने जनजातीय बच्चों के बीच एनीमिया की प्रबलता को ध्यान में रखते हुए श्रीअन्न आधारित आहार आपूर्ति के साथ ''जनजातीय पोषण कार्ड'' प्रस्तुत किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार का वन अधिकार अधिनियम (एफआरए) और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) में 0-6 वर्ष के बच्चों वाले परिवारों में पोषण के लिए एक अलग बजट सीमा का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) और (ख) : सभी विशिष्ट रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) सहित देश के बच्चों में पोषण स्तर बताने वाले संकेतकों का विवरण तथा आंगनवाड़ी केंद्रों से संबंधित अन्य विवरण https://www.poshantracker.in/statistics पर उपलब्ध हैं।

मिशन पोषण 2.0 के तहत, कुपोषण को कम करने, बेहतर स्वास्थ्य, आरोग्यता और रोग प्रतिरक्षण के लिए एक नई कार्यनीति बनाई गई है जिसमें सामुदायिक जुड़ाव, आउटरीच, व्यवहार में बदलाव और प्रचार-प्रसार जैसी गतिविधियाँ शामिल हैं। यह आयुष कार्यनीती पद्दतियों के माध्यम से मातृ पोषण, शिशु और छोटे बच्चे के आहार मानदंड, गंभीर तीव्र कुपोषण / मध्यम तीव्र कुपोषण के उपचार और आरोग्यता पर केंद्रित है ताकि दुबलापन, बौनापन, एनीमिया और कम वजन की व्यापतता कम हो सके।

इस मिशन के तहत, बच्चों (6 माह से 6 वर्ष तक), गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और किशोरियों को पूरक पोषण दिया जाता है ताकि जीवन चक्र दृष्टिकोण अपनाकर कुपोषण के पीढ़ी-दर-पीढ़ी चलने वाला चक्र समाप्त किया जा सके। पूरक पोषण, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की अनुसूची-II में दिए गए पोषण नियमों के अनुसार दिया जाता है। इन नियमों में जनवरी 2023 में संशोधन किया गया है। पुराने नियम ज़्यादातर कैलोरी-आधारित थे; तथापि, संशोधित मानदंड, आहार विविधता के सिद्धांतों पर आधारित हैं और पूरक पोषण की मात्रा और गुणवत्ता दोनों के संदर्भ में अधिक व्यापक और संतुलित हैं जिनमें गुणवत्ता वाले प्रोटीन, स्वस्थ वसा और सूक्ष्म पोषक तत्व (कैल्शियम, जिंक, आयरन, आहार फोलेट, विटामिन ए, विटामिन-बी 6 और विटामिन बी-12) का प्रावधान है। **गंभीर तीव्र कुपोषित बच्चों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अनुसार, अतिरिक्त पूरक पोषण** प्रदान किया जाता है।

इसके अलावा, महिलाओं और बच्चों में एनीमिया को नियंत्रित करने और सूक्ष्म-पोषक तत्वों की ज़रूरत को पूरा करने के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों को फोर्टिफाइड चावल दिया जा रहा है। आंगनवाड़ी केंद्रों पर गर्म पका भोजन और घर ले जाने वाला राशन बनाने के लिए हफ़्ते में कम से कम एक बार **श्री अन्न (मिलेट्स) के इस्तेमाल** पर अधिक ज़ोर दिया जा रहा है।

मंत्रालय ने 12 सितंबर 2022 की अधिसूचना के माध्यम से एकीकृत पोषण सहायता कार्यक्रम- सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण (2.0), नियम, 2022 जारी किए हैं। इसका उद्देश्य हर गर्भवती महिला और स्तनपान करवाने वाली मां, बच्चे के जन्म के छह महीने तक और छह माह से छह वर्ष तक की आयु के हर बच्चे के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के नियमों में विनिर्दिष्ट हकदारी को विनियमित करना है।

इसके अलावा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने मिलकर, बच्चों में गंभीर तीव्र कुपोषण को रोकने और उसका इलाज करने तथा उससे जुड़ी बीमारियों, रूग्णता और मृत्यु दर को कम करने के लिए तीव्र कुपोषण से निपटने के

लिए का सामुदायिक कुपोषण प्रबंधन प्रोटोकॉल जारी किया है। समुदाय-आधारित दृष्टिकोण में समुदाय में गंभीर तीव्र कुपोषित बच्चों का समय पर पता लगाना और उनकी जांच करना, जिन बच्चों को कोई चिकित्सा संबंधी समस्या नहीं है, उनके लिए घर पर पौष्टिक पोषक तत्व वाले स्थानीय भोजन और सहायक चिकित्सा देखभाल का प्रबंध किया जाता है। सामुदायिक कुपोषण प्रबंधन प्रोटोकॉल में 6 माह से 6 वर्ष तक के उन बच्चों के लिए भूख-परीक्षण और जांच की प्रक्रिया शामिल है जो गंभीर तीव्र कुपोषित या अत्यधिक कम वज़न के हैं। जांच के बाद, ऐसे बच्चों को आगे की देखभाल के लिए पोषण पुनर्वास केंद्रों या अस्पताल में भेजा जाता है।

(ग) और (घ): सरकार ने "जनजातीय पोषण कार्ड" पर कोई विशिष्ट नीतिगत उपाय नहीं किया है, लेकिन कुपोषण की चुनौती से निपटने के लिए आंगनवाड़ी सेवाओं, पोषण अभियान और किशोरियों (आकांक्षी जिलों और पूर्वोत्तर क्षेत्र में 14-18 वर्ष की) के लिए योजना को व्यापक मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 (मिशन पोषण 2.0) के तहत शामिल कर लिया गया है। यह एक केंद्र प्रायोजित मिशन है, जहाँ अलग-अलग गतिविधियों को कार्यान्वित करने की ज़िम्मेदारी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की है। इसके अलावा, यह मिशन एक **सार्वभौमिक स्वयं-चयन की व्यापक योजना है जिसमें किसी भी लाभार्थी के लिए पंजीकरण करने और सेवाएं प्राप्त करने में कोई रुकावट नहीं है।**
